क्षेत्रीय/सहायक सेवायोजन अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प/अनुरोध/प्रत्यावेदन पत्रों का विवरण

क्र0सं0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अधिकारी का नाम		श्री अजय सिंह	श्री शंकर बोरा	श्रीमती अनुभा जैन	श्रीमती ममता चौहान नेगी	श्री नारायण सिंह दरम्वाल	श्री विक्रम दास	श्रीमती विनीता बडौनी	श्री उत्तम कुमार	श्रीमती भगवती धर्मशक्तू	श्री कपिल पाण्डे	सुश्री लक्ष्मी यादव	श्री सुशील चमोली	श्री अब्बल सिंह बिष्ट
वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम		क्षे0से0का0 देहरादून	शिमाके खटीमा	जि0से0का0 उद्यमसिंह नगर	प्रर्वतन ईकाई देहरादून	न0से0का0 रामनगर	जि0से0का0टिहरी	क्षे0से0का0 देहरादून	जि0से0का0 हरिद्वार	शिमाके पिथौरागढ़	जि0से0का0रूद्रप्रयाग	वि0से0का0 जनजाति कालसी	क्षे0से0का लैन्सडोन	सीसीजीसी गोपश्वर
पदनाम		क्षे0से0अधिकारी	स0से0अधिकारी	जि0सेवा0 अधिकारी	सहा0 प्रवर्तन अधिकारी	स0से0अधिकारी	जि0सेवा0 अधिकारी	स0से0अधिकारी	जि0से0अधि0	स0से0अधिकारी	जि0सेवा0 अधिकारी	वि0से0अधिकारी	स0से0अधिकारी	स0से0अधिकारी
स्थानान्तरण चाहने हेतु विकल्प	1	सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी	जिसेका पिथौरागढ़	विसेका कालसी	विसेका कालसी	जिसेका उधमसिंहनगर	शिमाके कालसी	क्षेसेका देहरादून		शिमाके पिथौरागढ़	प्रर्वतन देहरादून	उधमसिंह नगर	विसेका कालसी	
	2	क्षेसेका लैंसडौन	जिसेका बागेश्वर	शिमाके केन्द्र कालसी	शिमाके कालसी	नसेका काशीपुर	विसेका कालसी	यूईबी रूड़की		शिमाके हल्द्वानी	विसेका कालसी	हरिद्वार	शिमाके कालसी,	
	3	क्षेसेका देहरादून	शिमाके पिथौरागढ़	नसेका पौडी	क्षेसेका लैंसडौन	शिमाके दिनेशपुर	प्रवर्तन देहरादून			नसेका हल्द्वानी	शिमाके कालसी	देहरादून	जिसेका रूद्रप्रयाग	
	4	क्षेसेका अल्मोडा	शिमाके चम्पावत	जिसेका बागेश्वर	नसेका पौडी,	शिमाके खटीमा	क्षेसेका देहरादून			शिमाके दिनेशपुर	क्षेसेका देहरादून	नैनीताल	शिमाके रूद्रप्रयाग	
	5		शिमाके बागेश्वर	शिमाके बागेश्वर	शिमाके उत्तरकाशी,	नसेका रानीखेत	जिसेका हरिद्वार			नसेका रामनगर	क्षेसेका लैंसडौन	टिहरी	जिसेका चमोली	
	6		शिमाके धारचूला	जिसेका चमोली	जिसेका रूद्रप्रयाग,	शिमाके अल्मोड़ा,	जिसेका उत्तरकाशी			क्षेसेका अल्मोडा	शिमाके कोटद्वार		शिमाके चमोली	
	7		क्षेसेका लैंसडौन	शिमाके चमोली	शिमाके रूद्रप्रयाग,	क्षेसेका अल्मोड़ा,	जिसेका नैनीताल			शिमाके अल्मोडा	यूईबी रूडकी		शिमाके उत्तरकाशी	
	8		विसेका कालसी	क्षेसेका लैंसडौन	जिसेका चमोली	यू0ई0बी0 हरिद्वार,	शिमाके देहरादून			शिमाके चम्पावत			शिमाके चम्पावत,	
	9		शिमाके कालसी	क्षेसेका लैंसडौन	शिमाके चमोली	यू0ई0बी0 रूड़की,	क्षेसेका देहरादून			शिमाके बागेश्वर			जिसेका बागेश्वर,	
	10		नसेका पौडी	शिमाके पिथौरागढ़		शिमाके हरिद्वार,	यूईबी श्रीनगर			जिसेका बागेश्वर			शिमाके बागेश्वर,	
अभियुक्ति					प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है		प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है	प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है	प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है	प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है				पदोन्नत सहायक सेवायोजन अधिकारी, प्रत्यावेदन/ अनुरोध संलग्न है

(जे0 एस0 नागन्याल)
निदेशक

117
2/5/18

मेल द्वारा:– अग्रिम प्रति

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन उत्तराखंड हल्द्वानी,
नैनीताल

विषयः–सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

सन्दर्भः–पत्रांक103 / डी.टी.ई.यू. / ई–1 / स्था0अधि / विकल्प पत्र / 2018 दिनांक 20.04.2018

महोदय,

विनम्र निवेदन करना है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 1203–14 / डीडीई / ई–1 / स्था0 / 2017 दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून के पत्रांक 1564–69 / 0901 / ई–1 / स्था0 / 17 दिनांक 24.07.2017 के अनुपालन में मेरा स्थानान्तरण क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून से जिला सेवायोजन कार्यालय गोपेश्वर में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र में सचिवीय पद्धति के पद पर हुआ था। आदेशो के अनुपालन में मैने 26.07.2017 को कार्यभार ग्रहण किया। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह अनुरोध करना है कि मेरा स्थानान्तरण जुलाई 2010 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में हुआ था। और मेरी सेवाकाल में 25 वर्ष की सेवाएं दुर्गम क्षेत्र की थी, जब मेरा स्थानान्तरण जुलाई 2017 में देहरादून से जिला सेवायोजन कार्यालय गोपेश्वर में किया गया था तो मेरी आयु 57 वर्ष से अधिक की थी व मुझे विश्वस्त्र सूत्रों से ज्ञात हुआ कि शासनादेश में यह प्राविधान था कि जिन अधिकारी / कर्मचारी की आयु 55 वर्ष से अधिक की है तो बिना अधिकारी / कर्मचारी के सहमति के स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुदेशक सचिवीय पद्धति के पद पर कार्यरत श्री कुवंर सिंह मेवाड़ जो पूरे सेवाकाल में जनपद देहरादून में ही कार्यरत है। और सुगम से दुर्गम क्षेत्र की सूची में किन नियमों के तहत सम्बन्धित कर्मचारी को स्थानान्तरण हेतु सूची में सम्मलित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में मैं तत्कालीन निदेशक डॉ0 अशोक कुमार महोदय से मिला और अपनी समस्याओं की जानकारी उनको मौखिक रूप से दी, कि मेरी पत्नी व मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है।स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पत्नी को बार–बार देहरादून आना पड़ता है। इस हेतु मेरा स्थानान्तरण स्थगित किया जाय। किन्तु उनके द्वारा मौखिक रूप से यह बताया कि जनपद चमोली में जिला सेवायोजन अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त है, साथ ही अपने कार्य के साथ–साथ आपको जिला सेवायोजन अधिकारी का कार्य भी देखना है, क्योंकि 2014 में जिला / सहायक सेवायोजन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभाग एवं शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को पदोन्नति हेतु अधियाचन भेजा गया था, जिसमें मैं भी एक पात्र कर्मचारी था, किन्तु जब 28 / 29 जून 2017 को आयोग में डीपीसी बैठी जिसमें मुझसे कनिष्ठ कर्मचारीयों के नामों पर

CAO की राय / [illegible]

क्रमशः

3
11.5.18

सहमति दी गई, किन्तु मुझे .84 प्रतिशत होने पर वंचित कर दिया गया। मेरे द्वारा 11 जुलाई 2017 को निदेशक महोदय, सचिव महोदय एवं लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के माननीय अध्यक्ष लोकसेवा अयोग एवं सचिव लोकसेवा आयोग को बार–बार प्रत्यावेदन दिया गया। तत्पश्चात शासन द्वारा भी उक्त प्रकरण पर कार्मिक विभाग की सलाह लेने के बाद शासनादेश दिनांक 14.03.2005 के प्रस्तर–2/(2) में क्षैतिज आरक्षण की गणना 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णांक के रूप में किये जाने का प्राविधान होने के दृष्टिगत शासन ने पत्र संख्या 1182/VIII/17–18 (श्रम)/2017 दिनांक 27 सितम्बर 2017 को पुनः पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए सचिव लोक सेवा आयोग उत्तराखड को पत्र प्रेषित किया गया, तदोपरान्त आयोग द्वारा बार–बार उक्त पद पर चयन हेतु तिथि निर्धारित की गई, लेकिन शासन द्वारा बार–बार प्रतिनिधित्व न होने के कारण आगामी तिथि निर्धारित करने के लिए पत्र भेजा जाता रहा, तत्पश्चात 28 फरवरी 2018 को उक्त पद की डीपीसी आयोग में सम्पन्न हुई, मुझे जानकारी मिली कि 5 अप्रैल 2018 को सचिव लोकसेवा आयोग की सहमति का पत्र सचिव सेवायोजन को प्राप्त हो गया है। अभी तक मेरी पदोन्नति का प्रकरण शासन एवं निदेशालय स्तर पर लम्बित है। मेरी सेवाकाल के मात्र 2 वर्ष अवशेष है मेरी पत्नी राज्य सरकार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैर जनपद चमोली में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है एवं उनका स्वास्थ्य बार–बार अस्वस्थ हो जाता है यहां पर उपचार के अच्छे साधन न होने के कारण उपचार के लिए बार–बार देहरादून या अन्य चिकित्सालयों पर ले जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि मेरी पदोन्नति होने पर मुझे जिला सेवायोजन कार्यालय चमोली में यथावत रखा जाय, और यदि स्थानान्तरण/पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया जाता है तो मेरी सेवाकाल को एवं पारवारिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए एक मात्र विकल्प क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून का देना चाहता हूं।

दिनांक 26-4-2018

सादर सहित।

भवदीय

(अब्बल सिंह बिष्ट)
अनुदेशक सचिवीय पद्धति,
जिला सेवायोजन कार्यालय,
गोपेश्वर, चमोली।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– अनुरोध के आधार पर प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी दिनांक–21 दिसम्बर 2016 से वर्तमान तक उत्तराखण्ड एम्प्लॉयमेन्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष है, जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संघ है । (संघ की कार्यकारिणी गठन के कार्यवृत्त की छाया प्रति संलग्न है।) इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी के पति उत्तराखण्ड सरकार में शिक्षा विभाग में राजकीय इण्टर कालेज,नालापानी,देहरादून में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर दिनांक–07.05.2016 से कार्यरत है। (छाया प्रति संलग्न) अधोहस्ताक्षरी दिनांक–23.06.2015 से प्रवर्तन इकाई कार्यालय, देहरादून में तैनात है तथा पूर्व में हम दोनों पति–पत्नी की तैनाती कभी भी एक स्थान पर नही रही है। उक्त के कम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्रस्तर–17 (2) घ) व प्रस्तर–13 (3) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी अनुरोध की पात्र है।

अतः आप से अनुरोध है कि कृपया उक्त दोनो धाराओं के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए स्थानान्तरण वर्ष 2018 में नही किये जाने का कष्ट करे।

भवदीया,

(ममता चौहान नेगी)
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि–

1–उपनिदेशक सेवायोजन उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ममता चौहान नेगी)
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
देहरादून।

II

प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड (हल्द्वानी)।

पत्रांक :– 712 /ई–1/स्था0/स्था0अधि0/गृ0ज0/2018 दिनांक : 01.05.2018

विषय : गृह जनपद में तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 105/डीटी0ईयू/ई–1/स्था0अधि0/विकल्प –पत्र /2018 दिनांक 20.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग 2 देहरादून के शासनादेश एवं स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में दिनांक 14.04.2018 को प्रकाशित सुगम क्षेत्र के गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण होने के पात्र का निर्धारण किया गया, उक्त के बिन्दु संख्या 2 में अंकित अधोहस्ताक्षरी को मात्र गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग 2 देहरादून के शासनादेश एवं स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संलग्नक–1) के क्रम में दिनांक 05.01.2018 को प्रकाशित स्थानान्तरण अधिनियम के सुसंगत धारा 6 में उल्लिखित है कि स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे :–

क. **सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।**
ख. **दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।**
ग. **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।**

उक्त तीनों प्रकारों के स्थानान्तरण में कहीं भी मात्र गृह जनपद में तैनात होने के कारण स्थानान्तरण करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

इसी अधिनियम की धारा 17 के बिन्दु संख्या 2 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि **समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।**

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 के बिन्दु 2 से भी स्पष्ट है कि समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। परन्तु जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण अपने गृह जनपद में जुलाई 2017 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनहित में हुआ है, के सन्दर्भ में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्थानान्तरण अधिनियम 2017 दिनांक 05.01.2018 से लागू हो रहा है। इसके दायरे में उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियो को गणना में लिया जाएगा जिनका स्थानान्तरण इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाएगा। उक्त के क्रम में जिन अधिकारियों का गृह जनपद में तैनात होने के कारण स्थानान्तरण किया जाना है, उनके सम्बन्ध में अनुरोध है कि शासन स्तर से आवश्यक परामर्श/दिशा–निर्देश प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। ताकि उक्त प्रकरण में उत्पन्न हो रही भ्रम की स्थिति का समुचित समाधान स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि/समिति की बैठक होने से पूर्व समाधान किया जा सके।

भवदीय,
1.5.18
(विक्रम)
जिला सेवायोजन अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

AD/CDO/ पौड़ी गढ़वाल

01/5/18

296
15/05/18

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

द्वारा– उचित माध्यम

विषय–गृह जनपद में तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण के सापेक्ष प्रत्यावेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्रांक –105/डीटीईयू/ई–1 /स्था0 अधि0 /विकल्प–पत्र/2018 दिनांक–20.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण होने के पात्र अधिकारियों का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या'04 में अंकित अधोहस्ताक्षरी को मात्र गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र निर्धारण किया गया है।

महोदय सादर–अवगत कराना है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के सुसंगत धारा–6 में उल्लिखित है कि स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होगें–
क–सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
ख–दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण।
ग–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

उपर्युक्त धारा'–6 के अधीन अधोहस्ताक्षरी का स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित नही है। एवं इसी अधिनियम की धारा–17 के बिन्दु संख्या–02 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि समूह क एव ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नही किया जायेगा। तैनात नही जायेगा की शब्दावली भविष्यलक्षी है। स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम का भी पालन संवैधानिक मूल नियम के अधीन भूतलक्ष्मी प्रभाव से नही किया जा सकता है। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण अपने गृह जनपद में जुलाई 2017 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के नीति के अन्तर्गत हुआ है, का स्थानान्तरण इस अधिनियम के तहत किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

यह भी अवगत कराना है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नही है मुझे स्लिप डिस्क एवं आर्थराइटस की गम्भीर समस्या है जिसका इलाज दून हॉस्पिटल एवं डाक्टर एस0एस0सचान से चल रहा है। चिकित्सक द्वारा मुझे अधिक दूरी की यात्रा, आगे झुकने, भारी समान उठाने आदि के लिए मना किया है। इससे सम्बन्धित सभी चिकित्सकों के पर्चे एवं रिर्पोट संलग्न है। मेरे दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 03 वर्ष एवं 07 वर्ष है उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर ही है क्योकि मेरे सास–ससुर दोनो उक्त रक्त चाप एवं शुगर से पीड़ित है।

इसके अतिरिक्त जब मैने सेवायोजन विभाग में नियुक्ति प्राप्त की थी मेरा नाम विनीता लखेड़ा पुत्री श्री सतीश चन्द्र लखेड़ा स्थाई निवास देहरादून का था। परन्तु शादी के बाद मेरा नाम विनीता बड़ोनी पत्नी श्री विजय बड़ोनी है। मेरे पति श्री विजय बड़ोनी का मूल निवास उत्तरकाशी का है। विवाह के बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र परिवर्तन के लिए प्रक्रिया अधीन हैं इससे सम्बन्धित शपथ पत्र संलग्न है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए मेरा स्थानान्तरण किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त करने का कष्ट करे।

संलग्न - 14 प्रतियाँ

दिनांक - 05-05-18

भवदीया,

05/05/18

(विनीता बड़ोनी)
सहायक सेवायोजन अधिकारी,
देहरादून।

AD/CAO/DDO
15/07/18

285
15/05/18

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

विषयः **अनुरोध के आधार पर आवेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांकः– 137–7 7 /डीटीईयू /ई–1 /स्थाना0 अधि0–2017/2018–19 दिनांक 28 अप्रैल 2018 के क्रम में सादर अनुरोध करना है कि स्थानान्तरण एक्ट की धारा–13(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध तथा धारा–17ख के बिन्दु संख्या छः के अनुसार दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध है। मेरे घर में मेरी 84 वर्षिय वृद्व सास है जो अनेक बिमारियों से ग्रसित है। जिनकी देख रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पति भारतीय स्टैट बैंक कासनी पिथौरागढ़ में कार्यरत है। मुझे 55 वर्ष अक्टूबर 2018 में पूरे होने जा रहे है और सितम्बर 2018 से सहायक सेवायोजन अधिकारी, शिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़ में कार्यरत हूँ। मेरा गृह जनपद मुख्यालय बागेश्वर है। महोदय शिक्षण केन्द्र पिथौरागढ़ में मेरे अतिरिक्त कोई भी स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। यदि मेरा स्थानान्तरण हो जाता है तो शिक्षण केन्द्र के कार्यो कलापों में व्यवधान उत्पन्न होगा।

महोदय, स्थानान्तरण सत्र एवं मेरे द्वारा अनुरोध पर किये गये विचार पर प्राथमिकता के आधार पर मुझे (दुर्गम से दुर्गम) शिक्षण मार्ग निर्देशन केन्द्र, पिथौरागढ़ में ही सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर रखने की महति कृपा करें। जिससे मेरे परिवार के समक्ष कठिनाईया उत्पन्न न हो सके, उनकी देख रेख कर सकूं, एवं मेरी कार्य क्षमता भी प्रभावित न हो सकें। महोदय, मैं आपकी आजन्म आभारी रहूंगी।

दिनांक 01 मई 2018

प्रार्थिनी

(भगवती धर्मशक्तू)
सहायक सेवायोजन अधिकारी
शिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ़।

AD/CAO/ 0100

15/05/18

152
7/5/18

प्रेषक,

पंजीकृत / ई–मेल

जिला सेवायोजन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड(हल्द्वानी)

पत्रांक– स्था. / ई–1 / 0901 / स्था.अधि. / गृ.ज. / 2018 / 1417 दिनांक 25.04.18

विषय– **गृह जनपद में तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण केसापेक्ष प्रत्यावेदन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि निदेशालय के पत्रांक–105 / डीटीईयू / ई–1 / स्था.अधि. / विकल्प–पत्र / 2018 दिनांक 20.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून के शासनादेश एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण होने के पात्र अधिकारियों का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या–04 में अंकित अधोहस्ताक्षरी को मात्र गृह जनपद में तैनात होने के कारण सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र निर्धारित किया गया है।

महोदय सादर अवगत कराना है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम– 2017 के सुसंगत धारा–6 में उल्लिखित है कि स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होगें –:

क– सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
ख– दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण।
ग– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

उपर्युक्त धारा–06 के अधीन अधोहस्ताक्षरी का स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित नही है। एवं इसी अधिनियम की धारा–17 के बिन्दु संख्या–02 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नही किया जायेगा। तैनात नही किया जायेगा की शब्दावली भविष्यलक्षी है । स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम का भी पालन संवैधानिक मूल नियम के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से नही किया जा सकता है। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण अपने गृह जनपद में जुलाई 2017 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनहित में हुआ है, का स्थानान्तरण इस अधिनियम के तहत किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

अतः प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी का मात्र गृह जनपद में तैनात होने के कारण स्थानान्तरण किये जाने का प्रस्ताव समुचित निर्णय कर, निरस्त करने का कष्ट करें।

AD(CM) श्री मई

भवदीय

01-05-18

(उत्तम कुमार)
जिला सेवायोजन अधिकारी
हरिद्वार

5/5